प्रेस–विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या:7/2019/1359/29–6–2019–162सा0/2001, दिनांक 05,अगस्त, 2019 में नयी उचित दर दुकानें नियुक्त किये जाने सम्बन्धी प्राविधानित व्यवस्था एवं समप्रति प्रभावी नियमों के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक:17.10.2019 के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर के नगरीय क्षेत्र बुगरासी में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनारिक्षत वर्ग में रिक्त 02 उचित दर की दुकान/स्थानों**(वार्ड न0–8 मौ0व्यापारियान एवं वार्ड न0–11 मौ0कंकड़वाला)** पर उचित दर की दुकानों की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हतायें/शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र केवल **रजिस्टर्ड डाक से** आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त उचित दर की दुकानों के आवंटन हेतु **अनारक्षित वर्ग** के इच्छुक अभ्यर्थी अपने फोटोयुक्त आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में रूपये 1000/–(एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला पूर्ति अधिकारी बुलन्दशहर के पक्ष में देय होगा, अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न किया जायेगा। एक आवेदन पत्र केवल एक स्थान के लिये ही मान्य होगा तथा जिस स्थान के लिये आवेदन पत्र भेजा जा रहा है उसका स्पष्ट अंकन भी लिफाफे के ऊपर किया जायेगा। अभ्यर्थी को पात्रता हेतु निम्नलिखित अर्हतायें/शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य है:

1– अभ्यर्थी के खाते में कम से कम रूपये 40,000/–**(चालीस हजार रूपये)** उपलब्ध हों, ताकि वह अपनी दुकान को आवंटित एक माह की सामिग्री का एक बार में ही उठान करने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम हो, **(बचत खाते की पास–बुक की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये)**

2– हाई–स्कूल तक शिक्षित हो, ताकि वह दुकान का हिसाब–किताब सही रूप से रख सके, **(हाई स्कूल शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जायें)**

3– जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।**(यदि चरित्र प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया हो तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु किये गये आवेदन की प्राप्ति एवं लॉटरी की दिनांक से पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये।)**

4– अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। (आयु के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये)

5– अभ्यर्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए। **(मूल निवास के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)**

6– शासनादेश संख्या 2933/29–6–08–76सा0/08, दिनांक:18.08.2008 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवेदक नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद का निर्वाचित सदस्य/अध्यक्ष/सभासद न हो।

7– उपरोक्त 1, 2, 4, 5 एवं 6 तथा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित नहीं है तथा उसके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है और न ही किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया है, के सम्बन्ध में एक नोटेरी शपथ पत्र भी संलग्न किया जाये ।

अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य अर्हताओं व शर्तो की पुष्टि हेतु संगत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार उचित दर की दुकान की नियुक्ति हेतु विस्तृत जानकारी एवं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप को जिला पूर्ति कार्यालय, बुलन्दशहर एवं संबंधित तहसील स्यानां से प्राप्त की जा सकती है ।

इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय, बुलन्दशहर में दिनांक:15.11.2019 की सांय 5:00 बजे तक **रजिर्टड डाक** से भेजे जा सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक:29.11.2019 को ही 5:00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गठित चयन समिति के समक्ष ही खोला जायेगा तथा पात्र अभ्यर्थीयों में से चयन हेतु तत्काल ही लॉटरी निकाली जायेगी, जिसमें सभी अभ्यर्थी तथा जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे एवं सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियों रिकॉडिंग भी करायी जायेगी।

(रवीन्द्र कुमार),
अपरजिलाधिकारी(प्र0)
बुलन्दशहर।

कार्यालय अपरजिलाधिकारी (प्र0) बुलन्दशहर।

पत्रांक: 1907/जि0पू0अ0/आ0अनु0/दु0अनु0/2019 दिनांक: 24 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिलाधिकारी महोदय की प्रतिष्ठा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर ।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0,बुलन्दशहर को जनपद की वेबसाईट पर जनसाधारण के प्रकाशनार्थ ।

4– सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बुलन्दशहर को चार अतिरिक्त प्रतियों में निःशुल्क हिन्दी समाचार–पत्रों में जन साधाराण के प्रकाशनार्थ ।

5– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

अपरजिलाधिकारी(प्र0)
बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner